

जाता कम्बोज निवासी 13 एक एक तहसील श्रीकरणपुर की ओर रा  
अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212  
आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रास्ता  
की भूमि के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे।  
अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक  
22.07.2024 को पेश हो।

7  
14  
प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची  
स. 1 का 6 की तलवी के नोटिस  
प्राप्त। रिपोर्ट में OR RPR प्राप्त वही  
पत्रावली वास्ते इन्फार् रिपोर्ट  
दिनांक 21/8/24 को पेश हो।

8  
24  
बार सघ का कार्य न्यागत है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त  
है पत्रावली दिनांक 22/8/24 को पेश है Kanna

8  
24  
प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची  
अधिवक्ता द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत  
धारा 212 RTA नोटिस किया।  
प्राची अधिवक्ता को सुना गया व  
पत्रावली का अवलाकन किया गया  
लिहाजा प्राची का प्राचीना पत्र 212  
RTA नोटिस करने पर खारिज  
किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर  
गम्बर से कम होकर दाखल  
पकतर हो।

Note  
press

Amph

उपखण्ड अधिकारी (राजस्य)  
श्री करणपुर

